

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 125 / 11

संस्थापन दिनांक:-23 / 05 / 11

फाईलिंग नं. 233504000412011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

1. देवेंद्र पिता जगन्नाथ खादीपुरे,
 उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम सेहरा,
 थाना बैतूल बाजार, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. कमल पिता भिल्लू वाड़िवा, उम्र 32 वर्ष (दि. 15.06.17 को निर्णीत)
3. कचरू पिता परसराम नागले, उम्र 35 वर्ष (दि. 23.11.16 को निर्णीत)
4. रामू पिता मिश्रीलाल सेमलकर, उम्र 20 वर्ष (दि. 23.11.16 को निर्णीत)
5. शिशुपाल पिता महादेव बेले, उम्र 28 वर्ष (दि. 23.11.16 को निर्णीत)
6. शिवदास पिता झिल्लू वाड़िवा, उम्र 30 वर्ष (दि. 23.11.16 को निर्णीत)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.12.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.12.2010 को रात्रि अशोक यादव का खेत ग्राम बरसाली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी अशोक यादव के दो बैल एवं रामनाथ यादव का एक बैल कीमती 15,000/- रुपये उनके आधिपत्य से उनकी बिना सहमति के बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए हटाकर चोरी की।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण कचरू, रामू, शिशुपाल, शिवदास के संबंध में दिनांक 23.11.2016 एवं अभियुक्त कमल के संबंध में दिनांक 15.06.2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त देवेंद्र के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 24.12.2010 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसने

अपने खेत में उसके तीन बैतूल दिनांक 23.12.2010 को रात को बांध कर आया था। दिनांक 24.12.2010 को सुबह देखा जो तीनों बैल नहीं दिखे तब उसने आसपास के खेतों में एवं सप्ताह के पड़ने वाले बाजार में तलाश कि परंतु बैल नहीं मिले। बाद में उसे एवं उसके भाई अशोक को ग्राम सेहरा में संतोष ने बताया किया दिनांक 24.12.2010 को शाम 3 बजे उसके खेत के पास दो लाल एवं एक सफेद बैल बंधे हुए दिखे थे शाम के बाद वे बैल नहीं दिखे।

4 फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना आमला में अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्र. 1/2011 में धारा 379 भा.दं.वि. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त देवेंद्र का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। हीरालाल से एक सफेद रंग का बैल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्र-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान ग्राम बरसाली स्थित अशोक यादव एवं रामनाथ यादव के खेत से उनके आधिपत्य से तीन बैल बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया ?
2. क्या अभियुक्त की सूचना के आधार पर हीरालाल निवासी ग्राम खामला के आधिपत्य से एक बैल बरामद हुआ ?
3. क्या बरामद बैल वही है जो कि घटना दिनांक, समय व स्थान को अशोक यादव एवं रामनाथ यादव के आधिपत्य से चोरी हुए थे ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 का साकारण निष्कर्ष

7 लीलाधर यादव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण

में यह बताया है कि घटना ग्राम बरसाली स्थित उसके भाई अशोक यादव के खेत की है। उसके भाई अशोक ने यह बताया था कि रात को कोई व्यक्ति दो बैल चुराकर ले गया है। उसी दिन रामनाथ ने भी आकर यह बताया था कि उसका भी एक सफेद रंग का बैल कोई व्यक्ति चुराकर ले गया है। अशोक यादव (अ.सा.-2) एवं रामनाथ यादव (अ.सा.-3) ने भी यह बताया है कि खेत से उनके बैल कोई चुराकर ले गया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि उनके द्वारा बैलों को बिरूलबाजार, सावलमेढा, परतवाड़ा और अन्य स्थानों पर भी ढूंढा गया परंतु बैल नहीं मिले। साक्षी लीलाधर यादव (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना आमला में की गयी थी जो कि प्रदर्श प्री-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8 एस.आर. यादव (अ.सा.-10) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी लीलाधर यादव (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसके द्वारा फरियादी की सूचना पर अपराध क्र. 1/11 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) लेख की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी लीलाधर यादव (अ.सा.-1), अशोक यादव (अ.सा.-2), रामनाथ (अ.सा.-3) तथा एस.आर. यादव (अ.सा.-10) की साक्ष्य से और घटना के संबंध में लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट से फरियादी अशोक यादव के आधिपत्य से दो बैल एवं रामनाथ यादव के आधिपत्य से एक बैल चोरी हो जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का साकारण निष्कर्ष

9 एस.आर. यादव (अ.सा.-10) ने यह प्रकट किया है कि विवेचना के दौरान उसने अभियुक्त देवेंद्र का मेमोरेंडम (प्रदर्श प्री-6) लेख किया था जिसमें अभियुक्त ने अन्य अभियुक्त कचरू, रामू, शिशुपाल, शिवदास के साथ फरियादी अशोक एवं रामनाथ यादव के आधिपत्य से उनके बैल को चोरी कर गागरखेड़ बाजार में बेचना बताया था। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसके द्वारा बैल खरीदने वाले व्यक्ति हीरालाल से एक सफेद रंग का बैल जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-8) तैयार किया गया था तथा अभियुक्त देवेंद्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-7) तैयार किया गया था।

10 उत्तम (अ.सा.-4), साहेबलाल (अ.सा.-5), संतोष (अ.सा.-6) द्वारा अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया गया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया है। साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं।

11 केशोराव (अ.सा.-8) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि

उसके सामने किसी से कोई पूछताछ नहीं की गयी थी लेकिन मेमोरेंडम (प्रदर्श प्री-6) के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा न ही उसके समक्ष किसी को गिरफ्तार किया गया था और न ही उसके सामने कोई बैल जप्त किया गया था परंतु गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-7) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-8) पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य उक्त साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हुआ है।

12 पुरुषोत्तम (अ.सा.-7) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त देवेंद्र से उसके समक्ष पूछताछ की गयी थी जिसमें अभियुक्त ने यह बताया था कि उसने एक बैल आमला में और दो बैल परतवाड़ा में बेच दिये हैं। उक्त साक्षी मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श प्री-6) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इसी साक्षी का यह कहना है कि पुलिस ने उसके समक्ष हीरालाल नामक व्यक्ति से एक सफेद बैल जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-8) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-7) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13 पुरुषोत्तम (अ.सा.-7) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में यह बताया है कि उसने मेमोरेंडम (प्रदर्श प्री-6) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-7) पर पुलिस चौकी बोड़खी में हस्ताक्षर किये थे परंतु स्वतः में उक्त साक्षी ने कहा कि कुछ कागजों पर उसने परतवाड़ा में हस्ताक्षर किये थे। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-7) के अवलोकन से यह दर्शित है कि हीरालाल से बैल की जप्ती ग्राम खामला में की गयी। इस तरह से जहां जप्ती पत्रक के अवलोकन से हीरालाल से बैल की जप्ती ग्राम खामला में किया जाना प्रकट हो रहा है वहीं जप्ती के साक्षी पुरुषोत्तम ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर पुलिस चौकी बोड़की पर और कुछ पर परतवाड़ा में किया जाना बताया है। पुरुषोत्तम (अ.सा.-7) ने यह बताया है कि पूछताछ के समय जब उसके सामने अभियुक्त देवेंद्र से पूछताछ की जा रही थी तो उसने एक बैल आमला के एक व्यक्ति को और दो बैल परतवाड़ा के एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया था। जबकि एस.आर. यादव (अ.सा.-10) ने यह बताया है कि जब उसने अभियुक्त देवेंद्र से पूछताछ की थी तो अभियुक्त ने बैलों को गांव सेहरा ले जाना और वहां से गागरखेड़ बाजार में बेचना बताया था जिसमें से एक बैल खामला के एक व्यक्ति को और अन्य दो बैल किसी अन्य को बेचा जाना बताया था। इस तरह से साक्षी एस.आर. यादव (अ.सा.-10) एवं साक्षी पुरुषोत्तम (अ.सा.-7) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है।

14 मेमोरेंडम एवं जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरूद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235**

अवलोकनीय है। प्रकरण में विवेचक साक्षी एस.आर. यादव (अ.सा.-10) एवं मेमोरेण्डम तथा जप्ती के साक्षी पुरुषोत्तम (अ.सा.-7) के कथनों में विरोधाभास है। साथ ही अभियुक्तगण कचरू, रामू, शिशुपाल, शिवदास से कोई पूछताछ नहीं की गयी है।

15 साथ ही हीरालाल (अ.सा.-9) ने अभियुक्त को पहचानना न प्रकट करते हुए यह बताया है कि उसे किसी भी अभियुक्त ने बैल नहीं बेचा था। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त देवेंद्र से पांच हजार रुपये में एक सफेद रंग का बैल था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने पुलिस को कभी ऐसा नहीं बताया था कि एक सफेद रंग का बैल पांच हजार रुपये में अभियुक्त देवेंद्र से खरीदा है। तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचना अनुसार निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त की सूचना के आधार पर हीरालाल निवासी ग्राम खामला के आधिपत्य से एक बैल बरामद हुआ था।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का साकारण निष्कर्ष

16 एस.आर. यादव (अ.सा.-10) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में यह बताया है कि उसके द्वारा बैलों की शिनाख्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि बैल फरियादी के है या नहीं इस संबंध में भी कोई कागज सरपंच से लेकर पेश नहीं किया गया है। लीलाधर यादव (अ.सा.-1), अशोक (अ.सा.-2) एवं रामनाथ (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पुलिस वाले एक बैल को पकड़कर लाये थे। लीलाधर ने यह बताया है कि पुलिस ने यह बताया था कि बैल को परतवाड़ा से पकड़कर लाये हैं। रामनाथ (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे आज तक यह जानकारी नहीं है कि बैलों को चोरी करके कौन ले गया था। इस तरह से प्रकरण में विवेचक एस.आर. यादव के द्वारा शिनाख्ती की कार्यवाही ही नहीं करवायी गयी है, तब ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि जो बैल हीरालाल नामक व्यक्ति के पास से बरामद हुआ वह वही बैल है जो कि फरियादीगण के आधिपत्य से चोरी हुआ था।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त देवेंद्र के द्वारा फरियादी अशोक एवं रामनाथ यादव के बैल चोरी किये गये तथा उन्हें गागरखेड़ बाजार में बेचा गया। हीरालाल (अ.सा.-9) ने किसी भी अभियुक्त के द्वारा बैल खरीदे जाने से इनकार किया है। विवेचक साक्षी एस.आर.

यादव (अ.सा.-10) के द्वारा जप्तशुदा बैल की शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं करवायी गयी है। किसी भी साक्षी ने यह भी प्रकट नहीं किया है कि उन्होंने अभियुक्त को बैल को चोरी करते या उन्हें ले जाते या उन्हें बेचते हुए देखा हो। फरियादी लीलाधर एवं रामनाथ ने यह बताया है कि पुलिस वाले एक बैल को पकड़कर लेकर आये थे। इस तरह से अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त देवेंद्र ने फरियादी अशोक के दो बैल एवं रामनाथ यादव के एक बैल को उनके आधिपत्य से उनकी बिना सहमति के हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्त देवेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 प्रकरण में जप्तशुदा एक सफेद रंग का बैल फरियादी लीलाधर यादव पिता बनवारी लाल यादव को हिफाजतनामे पर दिया गया है। चूंकि उक्त बैल के संबंध में किसी अभियुक्तगण ने दावा नहीं किया है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा बैल फरियादी लीलाधर की सुपुर्दगी पर दिया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)